न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी — **रूक्मणि रियार सिहाग**
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
47 / अपील / 17	07.02.2017	20.11.2019

श्रीमती जमना बाई पुत्री रामदेव पत्नी मदनलाल जाति मीणा,
निवासी इन्द्रा कॉलोनी, पुराना माटून्दा रोड, बून्दी

— अपीलान्ट

बनाम

1. रामगोपाल पुत्र रामदेव जाति मीणा,
   निवासी बहादूरपुरा, तहसील व जिला बून्दी
2. श्रीमती कान्ता बाई पुत्री रामदेव पत्नी संग्राम सिंह जाति मीणा,
   निवासी इन्द्रा कॉलोनी, पुराना माटून्दा रोड, बून्दी
3. श्रीमती सुमित्रा बाई पुत्री रामदेव पत्नी हजारीलाल जाति मीणा,
   निवासी सुभाष नगर, नैनवां रोड़, बून्दी
4. मृतक श्रीमती हजारी बाई बेवा रामदेव जाति मीणा, नि.बहादूरपुरा
   (मृतक का अपील में से नाम विलोपित किया गया)
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बून्दी (राज0)

— रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

अपीलान्ट की ओर से श्री लीलाधर सिंह, एडवोकेट।
रेस्पो.सं. 1 लगायत 4 की ओर से श्री कैलाश गुप्ता, एडवोकेट।
रेस्पो.सं. 5 की ओर से पेरोकार सरकार।

निर्णय

यह अपील तहसीलदार, बून्दी द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 571 दिनांक 03.03.2016 ग्राम बहादूरपुरा से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम,1956 इस न्यायालय में पेश की गयी है। अपीलाधीन नामान्तरकरण सहखातेदार मांग्या आ0 सरवण मीणा के फौत होने पर उसके द्वारा निष्पादित वसीयत के आधार पर रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष में तस्दीक किया गया है ।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर; बून्दी

अपील प्रस्तुत होने पर, अपील दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोडेन्टस तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पो.सं. 4 हजारीबाई बेवा रामदेव मीणा की मृत्यु हो जाने से दिनांक 27.8.19 को अपील में से नाम डिलिट किया गया।

तत्पश्चात् बहस उभय पक्षकारान् सुनी गयी ।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि कृषि भूमि खसरा संख्या 69 रकबा 27 बीघा 08 बिस्वा, ख.सं. 70 रकबा 15 बीघा 02 बिस्वा, ख.सं. 73 रकबा 2 बीघा 07 बिस्वा, ख.सं. 77 रकबा 7 बीघा 05 बिस्वा, ख.सं. 148 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, ख.सं. 149 रकबा 07 बिस्वा, ख.सं. 150 रकबा 10 बिस्वा कुल किता 7 कुल रकबा 54 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम बहादूरपुरा, तहसील बून्दी में विस्थित है, जो मांग्या वल्द सरवण हिस्सा 1/2 तथा अपीलांट व रेस्पो.सं.1 लगायत 4 हिस्सा 1/2 की खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है। इस संबंध में अपीलांट ने एक वाद बाबत अधिकार घोषणा, बटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी में दिनांक 31.07.2015 को ही प्रस्तुत कर दिया, जो उक्त न्यायालय में विचाराधीन हैं। उक्त वाद के साथ प्रस्तुत किये गये अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में अपीलांट के पक्ष में एवं रेस्पो.सं. 1 लगायत 4 के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, बून्दी के न्यायालय से अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश दिनांक 11.11.2016 को पारित हो रखा है। उक्त वाद उक्त कृषि भूमि के संबंध में विचाराधीन होते हुये भी अपीलांट के अनपढ होने एवं रिश्तेदार होने का फायदा उठाकर विश्वास में गुमराह करके रेस्पो.सं. 1 लगायत 4 द्वारा भूमि पर लोन दिलवाने के बहाने तहसील में ले जाकर अंगूठा लगवा लिया, जबकि अपीलांट को न तो वसीयत की जानकारी है और न ही अपीलांट के इस संबंध में कोई अपनी सहमति से बयान दिये है। बल्कि अपीलांट ने छल कपटपूर्वक व धोखाधडी से तैयार दस्तावेजी से आगे किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं करने एवं इन्तकाल नहीं खोलने एवं भूमि हस्तान्तरण नहीं करने के संबंध में तहसीलदार बून्दी को एक प्रार्थना पत्र जर्ये रजिस्टर्ड ए.डी. दिनांक 23.07.2015 को भिजवा दिया था एवं तहसीलदार बून्दी भी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बून्दी में विचाराधीन वाद में पक्षकार है जिनको उक्त वाद की जानकारी होने के बावजूद भी अनरजिस्टर्ड एवं विवादित वसीयत के आधार पर सभी पक्षों को सुनवाई का अधिकार दिये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तरीके से आदेश दिनांक 22.01.2016 पारित कर अपीलाधीन नामान्तरकरण खोल दिया गया, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गैर कानूनी रूप से तस्दीक किये गये उक्त नामान्तरकरण संख्या 571 दिनांक 03.03.16 की जानकारी जब अपीलांट अपनी भूमि पर

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

जिला कलक्टर, बून्दी

गई तब रेस्पो.सं.1 ने अपीलांट को वहां पर बडे पिता मांग्या के 1/2 हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवा लिये जाने एवं जमीन पर न आने की धमकी दिये जाने पर हुई। तब अपीलांट ने हल्का पटवारी से जानकारी एवं नामान्तरकरण की नकल दिनांक 13.01.2017 को प्राप्त की। इसके बाद सम्पूर्ण पत्रावली की नकल लेने के लिए अपीलांट ने तहसील बून्दी में आवेदन किया, लेकिन अपीलांट को निर्णय दिनांक 22.01.2016 व उसकी सम्पूर्ण पत्रावली की नकल नहीं दी गई, इस कारण उक्त निर्णय को चुनौती नहीं दी जा सकी। इसके बाद अपीलांट द्वारा यह अपील अन्तर्गत अवधि मध्य प्रस्तुत क गई है, अगर अपील में देरी मानी जावे तो देरी कन्डोन करने हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के इस अपील के साथ प्रस्तुत किया गया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किये जाने एवं अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान कर कार्यवाही करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को आदेश फरमाये जाने बाबत निवेदन किया गया।

अभिभाषक रेस्पो.सं. 1 लगायत 4 द्वारा बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम असत्य तथ्यों पर आधारित होने से स्वीकार नहीं है। अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी अपीलांट को पहले से ही थी, क्योंकि पक्षकारान् के मध्य न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बून्दी के बटवारे का वाद विचाराधीन है एवं इस न्यायालय में भी एक अन्य अपील संख्या 127/15 विचाराधीन है। उक्त अपील इसी अपील के साथ तारीख पेशियों पर चल रही है। उक्त सभी प्रकरणों में अपीलांट भी पक्षकार है जो वहां लगातार उपस्थित होती रही है, इसके बावजूद दिनांक 03.03.16 के नामान्तरकरण की दिनांक 03.02.17 को अपील पेश की गई है, जो अवधि बाधित होने से चलने योग्य नहीं है। अपीलांट ने यह अपील 11 माह के विलम्ब से पेश किये जाने का कोई संतोषजनक कारण नहीं बताया है, ऐसे में इस अपील में मियाद कन्डोन किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः अपील अपीलांट अवधि बाधित होने से निरस्त फरमाई जावे। अभिभाषक रेस्पो.सं. 1 लगायत 4 ने बहस के दौरान आगे गुणावगुण पर तर्क प्रस्तुत किये कि पक्षकार अनुसूचित जनजाति के सदस्य है, जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है। ऐसे में अनुसूचित जनजाति के पुरूष उत्तराधिकारी की मौजूदगी में पुत्रियों को विरासत में उत्तराधिकार के अधिकार प्राप्त नहीं होते है। वैसे अपीलांट मृतक खातेदार मांग्या मीणा की पुत्री भी नहीं है। रेस्पो.सं.1 ने ही खातेदार मांग्या जी की देखभाल की थी तथा उनके जीवनकाल में भी उनके हिस्से की जमीन पर काबिज काश्त रहा है। लाऔलाद मांग्या जी ने रेस्पो.सं.1 की सेवा शुश्रुषा से प्रसन्न होकर उसके पक्ष में अपने खाते की जमीन की वसीयत की है। अपीलाधीन नामान्तरकरण उक्त वसीयत के आधार पर वसीयतगृहिता रेस्पो.सं. 1 के पक्ष

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

जिला कलेक्टर; बून्दी

में तस्दीक किया गया है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की विधि विरूद्ध कार्यवाही नहीं की गई है। अपीलांट ने उक्त वसीयत को विवादित होना बताया है किन्तु इस संबंध में अपीलांट द्वारा कोई एफ.आई. आर. पुलिस थाने में दर्ज करवाई हो, ऐसा सबूत पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। वसीयत को सक्षम न्यायालय मे ही चुनौती दी जा सकती है, जो अपीलांट द्वारा नही दी गई है। नामान्तकरण के विरूद्ध पेश की गई अपील में वसीयत की वैधता का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। अपीलांट ने बटवारें का एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी में पेश किया हुआ है जो विचाराधीन है। अपीलांट को सक्षम न्यायालय मे विचाराधीन वाद से ही अपने अधिकार प्राप्त हो सकते, न कि इस नामान्तरकरण की कार्यवाही में, क्योंकिनामान्तरकरण की कार्यवाही फिस्कल प्रोसीडिंग है, जिसमें अधिकारों का अन्तिम निर्धारण नहीं होता है। अभिभाषक रेस्पो.सं.1 लगायत 4 द्वारा अपील अपीलांट खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा बहस उभय पक्ष पर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। अभिभाषक रेस्पो.सं. 1 लगायत 4 द्वारा अपील को सर्वप्रथम मियाद के बिन्दू पर निर्णित किये जाने का निवेदन किया गया तथा अपील मियाद बाहर पेश होना बताते हुये इसे चलने योग्य नहीं बताया है। अपील का सर्वप्रथम मियाद बिन्दु पर परीक्षण किया गया। इस संबंध में रेस्पो.सं.1 लगायत 4 को आपत्ति है कि अपीलांट उक्त कृषि भूमि का सहखातेदार है, अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी 11 माह तक नहीं हो पाने के क्या कारण रहे है, यह प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में कहीं भी अंकित नहीं किया गया, जबकि अपीलांट को अपीलाधीन नामान्तरकरण की प्रारम्भ से ही जानकारी रही है, इस प्रकार अपीलांट ने जानबूझकर अपील विलम्ब से पेश की है जो मियाद बाहर होने से खारिज की जावे। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर आया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.03.2016 को पारित किया गया है जिसकी अपील अपीलांट द्वारा दिनांक 03.02.17 को इस न्यायालय में पेश की गयी। प्रार्थना पत्र धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के अवलोकन से प्रकट है कि प्रा.पत्र के साथ प्रार्थिया का शपथ पत्र भी पेश हुआ है, जबकि इसके खण्डन में अप्रार्थीगण की ओर से कोई शपथ पत्र पेश नहीं हुआ है। लिमिटेशन के संबंध में कई न्यायिक विनिश्चयों में यह माना है कि जानकारी की तिथि से ही अवधि की गणना की जानी चाहिऐ। लिमिटेशन के संबंध में RRD 1998 पेज 319 में प्रतिपादित मत की रोशनी में न्यायहित में हम हस्तगत अपील का निर्णय मैरिट पर करना उचित समझते है। अतः अपील अन्दर मानते हुये अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाता है।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर; बून्दी

अपील का परीक्षण गुणावगुणों पर किये जाने पर प्रकट है कि ग्राम बहादूरपुरा, तहसील बून्दी की कृषि भूमि कुल किता 7 कुल रकबा 54 बीघा 18 बिस्वा पर मांग्या वल्द सरवण हिस्सा 1/2, रामगोपाल वल्द रामदेव, जमनाबाई, कान्ताबाई, सुमित्राबाई पुत्रियां रामदेव, हजारीबाई बेवा रामदेव हिस्सा 1/2 कौम मीणा निवासी बहादूरपुरा खातेदार दर्ज रेकार्ड थे। सहखातेदार मांग्या वल्द सरवण मीणा के फौत हो जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायालय तहसीलदार बून्दी के आदेश दिनांक 22.01.2016 की पालना में वसीयतगृहिता के पक्ष में अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक किया गया। इस अपीलांट को आपत्ति है कि उक्त वसीयत कूटरचित होने से एवं अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना अधीनस्थ न्यायालय रेस्पो. सं. 1 के पक्ष में तस्दीक नामान्तरकरण विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। इस संबंध में रेस्पो.सं.1 लगायत 4 द्वारा वसीयत सही होना तथा इसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जाना बताते हुये अपीलाधीन नामान्तरकरण को विधिसम्मत बताया है तथा अपील अपीलांट खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

जहां तक वसीयत की जॉच का प्रश्न है यह सिविल न्यायालय का क्षैत्राधिकार है। अभिभाषक अपीलान्ट ने वसीयत को फर्जी बताया है किन्तु इस बाबत पुलिस स्टेशन में कोई रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी हो, ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। यदि अपीलांट वसीयत से नाइत्तफाकी रखती है तो उसे सिविल न्यायालय में चैलेन्ज करे, अपील मे किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त नहीं किया जा सकता। हस्तगत प्रकरण नामान्तरकरण की अपील है, जिसमें स्वत्वः का निर्धारण नहीं किया जा सकता है, अपितु स्वत्वः का निर्धारण नियमित वाद में ही किया जा सकता है जो अभी उपखण्ड अधिकारी बून्दी के न्यायालय में विचाराधीन है। अपीलाधीन नामान्तरकरण वसीयत के आधार पर तस्दीक किया गया है जिसमें कोई अनियमितता होना प्रथमदृष्टया प्रकट नहीं है। परिणाम स्वरूप अपील अपीलान्ट खारीज की जाती है। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावें।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

आदेश आज दिनांक 20.11.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलक्टर बून्दी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2019.12.13 10:50:18 IST
Reason: SelfAttested
Location: